उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या: 791 /VII-1/40-सिडकुल/2014
देहरादून : दिनांक: 11 दिसम्बर, 2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 103/VII-1/46-सिडकुल/2013, दिनांक 17 जनवरी, 2014, तथा तद्संबंधी स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या 275/VII-1/46-सिडकुल/2013, दिनांक 11 जून, 2014, जिसमें भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टैक्सटाईल उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में टैक्सटाईल उपक्रमों को आकर्षित एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी कियान्वयन किये जाने के लिए टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु टैक्सटाईल उद्योगों को कतिपय छूट/रियायतें प्रदान की गई थी, को अवक्रमित/संशोधित करते हुए राज्य में टैक्सटाईल नीति को अन्य राज्यों की सफल नीति के समकक्ष बनाये जाने एवं प्रभावी कियान्वयन किये जाने हेतु निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. इस नीति का नाम **"मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014"** होगा।
2. इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित टैक्सटाइल पार्क आच्छादित होंगे।
3. टैक्सटाइल पार्कों में ऐसे उद्यमियों को वरियता दी जायेगी जिनके उद्यम पूर्व में ही उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थापित हैं।
4. उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आंवटन सिडकुल द्वारा वर्तमान Single Window Policy के अन्तर्गत सिडकुल की समय समय पर निर्धारित पद्धति के आधार पर सिडकुल के निर्धारित मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।
5. ₹ 75.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश की नई परियोजनायें मेगा टैक्सटाइल पार्क योजना कहलायेंगी। इस नीति के तहत नयी योजनायें एवं विद्यमान टैक्सटाइल उद्योग विस्तारीकरण के तहत ₹ 75.00 करोड़ से अधिक का पूँजी निवेश करने वाली इकाईयॉ भी आच्छादित रहेंगी।
6. इस नीति के अन्तर्गत मेगा टैक्सटाइल पार्क योजनाओं के अन्तर्गत भूमि आंवटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जायेगी।
7. इस नीति के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किश्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।

8. तीन वर्षों तक उत्पादन में न आने वाले उद्योग से नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त रियायतें वापिस ले ली जायेगी।

9. प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत अन्य छूटें एवं रियायतें निम्नवत् हैं--:

(i) Scheme Period :- आगामी 07 वर्ष यथा 31 मार्च, 2021 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयॉ।

(ii) State Capital Subsidy :- केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 50.00 लाख तथा वृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 30.00 लाख की छूट टैक्सटाइल उद्यमियों को दी जायेगी।

(iii) Interest Subsidy :- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाइल उद्यम पर 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायेगी।

(iv) VAT Concession :- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाइल उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक कच्चे माल (Raw Material) पैकिंग मैटेरियल क्रय तथा तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत Vat की विशेष छूट दी जायेगी।

(v) Power Assistance/ Power Bill Rebate :- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यमियों हेतु उत्पादन आगामी 07 वर्षों हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं ₹ 1.00 प्रति यूनिट के दर से छूट दी जायेगी। इलैक्ट्रिक ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 07 वर्षों के लिए दी जायेगी।

(vi) Rebate on Stamp Duty :- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यम हेतु Land Purchase/Lease Deed सम्पादन करने पर 100 प्रतिशत Stamp Duty पर छूट दी जायेगी।

(vii) Rebate on Mandi tax :- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यम पर Mandi tax पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(viii) CST :- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत CST की छूट दी जायेगी।

10. उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिए GST या किसी भी अन्य तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम में समायोजित किया जायेगा।

11. उक्त नीति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।